न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी – सुश्री शुभम चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रा.पत्र संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
2/125	15.07.2013	25.10.2017

बउनवान

1. रघुवीरसिंह पुत्र मंगतूराम जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील व जिला अलवर।

––प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर।
3. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जरिये चैयरमैन विद्युत भवन विद्युत मार्ग, ज्योति नगर जयपुर राजस्थान।
4. सहायक अभियन्ता द्वितीय सी.एण्ड एम. टी.सी.सी.–6 प्रतिवादी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अलवर।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राज.काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. **श्री दिनेश कुमार यादव वकील प्रार्थी।**
2. **पैरोकार सरकार अप्रार्थी सं. 1 व 2**
3. **श्री रूडमल सोनी वकील अप्रार्थी 3 व 4**

निर्णय

वकील प्रार्थी ने मूल वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि. पेश कर निवेदन किया कि बन्दोबस्त संवत 2051 में हाल आराजी खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.59 ऐयर एवं 1040 रकबा 0.91 ऐयर जिनके गत खसरा नम्बर 756, 757, 759 वाकेग्राम लोधाडी तहसील व जिला अलवर विवादित आराजी उपरोक्त के बन्दोबस्त संवत 2020 से पूर्व हाल खसरा नम्बरान 756, 757, 759 साबिक खसरा नम्बर 729 मिन, 730 मिन, 733 मिन, 734 मिन, 735 मिन, 736 मिन वाकेग्राम लोधाडी पर वादी बहैसियत काबिज काश्तकार अरसे दराज से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और वर्तमान में भी वादी का विवादित आराजी पर कब्जा है। वादी विवादित आराजी पर राज.काश्त.अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही आज तक काबिज व दखिल चला आ रहा है। यानि वादी का विवादित आराजी पर करीब 50–55 साल से आज तक निरन्तर कब्जा चला आ रहा है और बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादी विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का नैतिक

एवं विधिक रूप से अधिकारी है। संवत 2029–2032 की खसरा गिरदावरी राजस्व विभाग द्वारा काश्तकारी के कब्जे काश्त की आराजी के सम्बन्ध में तैयार की गयी थी, जिसके आधार पर काश्तकारों को उनके कब्जे काश्त की भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जा सके। वादी का विवादित आराजी के खसरा परिवर्तनशील व खसरा गिरदावरी में नाम का अंकन होता चला आ रहा है। जिससे साबित होता है, कि विवादित आराजी पर वादी का कब्जा है। संवत 2029–2032 में राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों ने वादी को भरोसा दिलाया था कि विवादित आराजी पर वादी के हक में नियमन कर दिया जावेगा। वादी को पटवारी हल्का द्वारा जब भी नोटिस दिया गया, वादी ने पैनेल्टी जमा कराकर रसीदात प्राप्त की है एवं विवादित आराजी के हाल खसरा परिवर्तनशील में वादी के नाम काश्त का अंकन हो रहा है। वादी ने विवादित आराजी में काफी जिसमानी मेहनत करके वो लागत लगाकर उपजाऊ रकबा बनाया है। विवादित आराजी मौके पर काबिल काश्त रकबा है, जिस पर वादी अरसे दराज से काबिज चला आ रहा है। राज.काश्त.अधि. लागू होने के दिन विवादित आराजी पर वादी का कब्जा था। इस कारण वादी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ विवादित आराजी की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन प्रतिवादीगण एवं उनके तहत कर्मचारियान ने आज दिन तक वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया है और ना वादी के नाम का अंकन खातेदारी का ताहाल राजस्व रिकार्ड में किया है, अपितु खिलाफ कानून विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में सिवायचक लगानी अज कस्टोडियन का अंकन किया जा रहा है, जो अंकन खिलाफ कानून व मौका है और वादी के अधिकारों के विरूद्ध बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबंदी है। विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये वादी ने विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकलात प्राप्त की और दिनांक 25.03.2013 को प्रतिवादीगण के तहत कर्मचारियान से वादी ने अपने आपको विवादित आराजी का खातेदार घोषित कराकर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खातेदारी का अंकन कराने व विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड से सिवायचक लगानी अज कस्टोडियन का अंकन कलमजन कराने का निवेदन किया, तो प्रतिवादीगण के तहत कर्मचारियान ने स्पष्ट इंकार कर दिया और विवादित आराजी के खिलाफ कानून मौका राजस्व रिकार्ड के अंकन के आधार पर वादी को विवादित आराजी से जबरन बेदखल करने वो कार्य काश्तकारी नहीं करने देने की दहशत वो धमकी दी गयी। वर्णित सूरत में वादी अपने आपको विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है और विवादित आराजी के ताहाल राजस्व रिकार्ड के किये गये अंकन सिवायचक लगानी अज कस्टोडियन को वादी अपने अधिकारों के खिलाफ बातिल व

बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिलाकर कलमजन कराने का अधिकारी है और विवादित आराजी के ताहाल राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अंकन बहैसियत खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3–4 को विवादित आराजी का आवंटन करने से पूर्व जो अधिसूचना दिनांक 13.03.2012 एवं दिनांक 08.08.2013 को जारी की गयी थी, उस अधिसूचना में विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.59 ऐयर एवं 1040 रकबा 0.91 ऐयर ग्राम लोधाडी का अंकन नहीं किया गया है, अपितु हाल खसरा नम्बरान 1035, 1036, 1037 ग्राम लोधाडी तहसील व जिला अलवर का अंकन किया गया है एवं गलत तरीके पर खिलाफ कानून व मौका विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.59 ऐयर एवं 1040 रकबा 0.91 ऐयर ग्राम लोधाडी का आवंटन प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3–4 को दिनांक 07.06.2013 को बिना सर्वसाधारण की आपत्ति मांगे एवं बिना पीडित पक्षकार को सुने कर दिया गया। जबकि वक्त आवंटन विवादित आराजी खाली नहीं थी और वादी का मौके पर कब्जा चला आ रहा है। जो आवंटन आदेश दिनांक 07.06.2013 प्रारम्भ से ही वादी के अधिकारों के खिलाफ बातिल बेअसर नाकाबिल पाबंदी एवं शून्य करार दिये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण एवं उनके तहत कर्मचारियान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे है। अगर प्रतिवादीगण या उनके तहत कर्मचारियान ने वादी को विवादित आराजी में कुल कार्य काश्तकारी नहीं करने दिया और जबरन बेदखल कर दिया और जबरन प्रतिवादी संख्या 3–4 ने विवादित आराजी में 132 केवी जीएसएस विजय मन्दिर जिला अलवर का निर्माण कर दिया तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ति रूपयों व अधिकारों व अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी और वादी के रोजगार का साधन समाप्त हो जावेगा। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण या उनके तहत कर्मचारियान विवादित आराजी में वादी के कुल कार्य काश्तकारी में किसी प्रकार की बाधा पैदा न करे, जबरन बेदखल न करे, अपना जबरन कब्जा न करे। किसी प्रकार दीगर शख्स या संस्था को आवंटन/विनियमन ना करे। विवादित आराजी में 132 केवी जीएसएस विजय मंदिर अलवर का निर्माण न करे। राजस्व रिकार्ड एवं मौका की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1039 रकबा 59 ऐयर व 1040 रकबा 91 ऐयर वाकेग्राम लोधाडी तहसील व जिला अलवर में स्थित है। चरण संख्या 4 विवादित आराजी पर वादी बहैसियत काबिज

काश्तकार अरसेदराज से काबिज चला आ रहा हो। वर्तमान में भी वादी विवादित आराजी पर काबिज हो अपितु विवादित आराजी सिवायचक कस्टोडियन आराजी है। श्रीमान जिला कलक्टर अलवर ने दिनांक 07.06.13 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1039 व 1040 तथा खसरा नम्बर 1038 रकबा 10 ऐयर ग्राम लोधाडी प्रतिवादीगण को 132 केवी जीएसएस विजय मंदिर हेतु 139/– रूपये प्रतिवर्गमीटर की दर से आवंटित की है। जिस आराजी का कब्जा तहसीलदार अलवर द्वारा दिनांक 29.06.2013 को रा.रा.वि.प्र.नि.लि. को दे दिया है। जिससे विवादित आराजी पर रा.रा.वि.प्र.नि.लि. काबिज है। वादी विवादित आराजी पर राज.काश्त. अधिनियम 1955 लागू होने के पूर्व से आज तक काबिज व दाखिल चला आ रहा हो। वादी का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। वादी विवादित आराजी पर करीब 50–55 वर्ष से निरंतर काबिज चला आ रहा हो। यदि वादी विवादित आराजी पर काबिज होता तो निश्चित रूप से वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते। बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ से वादी विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो। चरण संख्या 5 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नहीं। वादी का विवादित आराजी के खसरा परिवर्तनशील व खसरा गिरदावरी के नाम का अंकन होता चला आ रहा हो। वादी ने अपने अभिवचन में यह भी अंकित नहीं किया है कि किस संवत की खसरा गिरदावरी व किस सम्वत के खसरा परिवर्तनशील में वादी का नाम अंकित है। जिससे प्रथम दृष्टया ही वादी का अभिवचन मिथ्या नजर आता है। सम्वत 2029–2032 में राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों ने वादी को भरोसा दिलाया हो कि विवादित आराजी वादी के हक में नियमन कर दी जायेगी। वादी ने करीब 35–40 साल पूर्व के आश्वासन के आधार पर यह दावा गलत रूप से पेश किया है। पटवारी हल्का द्वारा वादी को नोटिस दिया तो वादी ने पेनल्टी जमा कराकर रसीद प्राप्त की हो। वादी ने पेनल्टी जमा कराकर रसीद प्राप्त की हो। वादी ने अपने अभिवचन में यह भी अंकित नहीं किया है कि किस सम्वत में वादी ने पेनल्टी जमा कराई है। वादी ने यदि वर्तमान में राजस्व कर्मचारियों से मिलकर खसरा परिवर्तनशील में अपने नाम का अंकन गलत रूप से करा लिया है तो उससे वादी को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादी ने विवादित आराजी में काफी जिसमानी मेहनत करके उसे काबिल काश्त बनाया हो। विवादित आराजी पर वादी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। वादी विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक कस्टोडियन आराजी थी। सिवायचक आराजी पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। राजस्व रिकार्ड में खिलाफ कानून व मौका अंकन

किया हुआ हो। वादी राजस्व रिकार्ड को बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी घोषित कराने का अधिकारी नहीं है। चरण संख्या 6 दिनांक 25.03.2013 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कर्मचारियों से खातेदार घोषित कराकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अंकित करने बाबत कहा हो। वादी ने राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने बाबत कहा हो और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कर्मचारियों ने इन्कार कर दिया हो। वादी ने उक्त तारीख काल्पनिक व मनगढंत दावा दायर करने की नियत से फर्जी अंकित की है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कर्मचारियों ने वादी को किसी प्रकार की कोई धमकी दी हो। दावा बिना देरी पेश किया गया हो। अपितु दावा वादी स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। चरण संख्या 7 वादी अपने आप को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी हो। विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवायचक लगानी अज कस्टोडियन अंकित हो। अपितु विवादित आराजी सिवायचक कस्टोडियन अंकित है। वादी राजस्व रिकार्ड को बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी घोषित कराकर कलमजन कराने का अधिकारी हो। विवादित आराजी से वादी का कोई सम्बन्ध नहीं है। वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज कराने का अधिकारी नहीं है। चरण संख्या 8 प्रतिवादीगण के कर्मचारी वादी को विवादित आराजी में काश्तकारी नहीं करने दे रहे हो और जबरन बेदखल करने पर उतारू हो। वादी को विवादित आराजी में काश्त करने को कोई अधिकार नहीं है। विवादित आराजी रा.रा.वि.प्र.नि.लि. को आवंटित की हुई आराजी है। वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति कारित होती हो। चरण संख्या 9 प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति वादी के हक में सिद्ध व साबित हो। चरण संख्या 11 बिना अभिवचन के मौखिक तथ्य अर्ज करने का वादी को कोई अधिकार नहीं है।

अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि वादी ने इस दावे में आवंटन आदेश दिनांक 07.06.2013 को बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी घोषित किये जाने बाबत अनुतोष चाहा है। विवादित आराजी जिला कलक्टर अलवर द्वारा आवंटित की हुई है। आदेश दिनांक 07.06.2013 जिला कलक्टर अलवर का आदेश है। जिसको अवैध व शून्य घोषित किये जाने का न्यायालय श्रीमान को क्षेत्राधिकार नहीं है। जिससे दावा व प्रार्थना पत्र वादी इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः संशोधित प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
अलवर

अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने अपने जवाब में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.59 ऐयर व 1040 रकबा 0.91 ऐयर वाकेग्राम लोधाडी तहसील अलवर में स्थित है। विवादित आराजी पर वादी बहैसियत काबिज काश्तकार अरसेदराज से काबिज चला आ रहा हो। यह गलत है कि वर्तमान में भी वादी विवादित आराजी पर काबिज हो। अपितु विवादित आराजी सिवायचक कस्टोडियन आराजी हो। श्रीमान जिला कलक्टर अलवर ने दिनांक 07.06.2013 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1039 व 1040 तथा खसरा नम्बर 1038 रकबा 10 ऐयर ग्राम लोधाडी प्रतिवादीगण को 132 केवी जी.एस.एस. विजय मंदिर हेतु 139/–रूपये प्रतिवर्गमीटर की दर से आवंटित की है। जिस आराजी का कब्जा भी तहसीलदार अलवर द्वारा दिनांक 29.06.2013 को प्रतिवादीगण को दे दिया है। जिससे विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज है। वादी विवादित आराजी पर राज.काश्त. अधिनियम लागू होने से पूर्व से आज तक काबिज व दाखिल चला आ रहा हो। वादी का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। वादी विवादित आराजी पर करीब 50–55 वर्ष से निरंतर काबिज चला आ रहा हो। यदि वादी विवादित आराजी पर काबिज होता तो निश्चित रूप से वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते। यह गलत है कि बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ से वादी विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो। वादी के मन में बेईमानी आ गई। विवादित आराजी को प्रतिवादीगण को आवंटित किये जाने के बाद वादी ने गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर यह दावा पेश किया है। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 3 वादी का विवादित आराजी के खसरा परिवर्तनशील व खसरा गिरदावरी में नाम का अंकन होता चला आ रहा हो। वादी ने अपने अभिवचन में यह भी अंकित नहीं किया है कि किस संवत की खसरा गिरदावरी व किस संवत के खसरा परिवर्तनशील में वादी का नाम अंकित है। जिससे प्रथम दृष्टया ही वादी का अभिवचन मिथ्या नजर आता है। सम्वत 2029–2032 में राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों ने वादी को भरोसा दिलाया हो कि विवादित आराजी वादी के हक में नियमन कर दी जायेगी। वादी ने करीब 35–40 साल पूर्व के आश्वासन के आधार पर यह दावा व प्रार्थना पत्र गलत रूप से पेश किये है। पटवारी हल्का द्वारा वादी को नोटिस दिया तो वादी ने पेनल्टी जमा कराकर रसीद प्राप्त की हो। वादी ने अपने अभिवचन में यह भी अंकित नहीं किया है कि किस सम्वत में वादी ने पेनल्टी जमा कराई है। वादी ने यदि वर्तमान में राजस्व कर्मचारियों के मिलकर खसरा परिवर्तनशील में अपने नाम का अंकन गलत रूप से करा लिया है तो उससे वादी को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादी ने विवादित आराजी में काफी जिसमानी मेहनत करके उसे

काबिल काश्त बनाया हो। विवादित आराजी पर वादी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। वादी विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक कस्टोडियन आराजी थी। सिवायचक आराजी पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। राजस्व रिकार्ड में खिलाफ कानून व मौका अंकन किया हुआ हो। वादी राजस्व रिकार्ड को बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी घोषित कराने का अधिकारी नहीं है। चरण संख्या 4 दिनांक 25.03.2013 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कर्मचारियों से खातेदार घोषित कराकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अंकित करने बाबत कहा हो। वादी ने राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने बाबत कहा हो और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कर्मचारियों ने इन्कार कर दिया हो। वादी ने उक्त तारीख काल्पनिक व मनगढंत दावा दायर करने की नियत से फर्जी अंकित की है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कर्मचारियों ने वादी को किसी प्रकार की कोई धमकी दी हो। प्रार्थना पत्र चरण संख्या 5 वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति कारित होती हो। वादी का जब विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध ही नहीं है तो वादी को किसी प्रकार की क्षति कारित होने का सवाल ही नहीं उठता। वादी प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। बिना धारा 80 जा.फौ. का नोटिस दिये बिना दावा व प्रार्थना पत्र वादी प्रार्थी पोषनीय नहीं है। चरण संख्या 6 वादी का प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन वादी के हक में सिद्ध व साबित हो।

अप्रार्थी सं. 3 व 4 ने अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि विवादित आराजी को श्रीमान जिला कलक्टर ने दिनांक 07.06.2013 को आवंटित कर दी है तथा कब्जा प्रतिवादीगण को दे दिया गया है। वादी ने आवंटन के विरूद्ध भी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर में अपील प्रस्तुत की हुई है। दावा प्रस्तुत करते समय वादी को इस बात की जानकारी थी कि विवादित आराजी का आवंटन प्रतिवादीगण को हो चुका है। इसके बावजूद भी वादी ने प्रतिवादीगण को इस दावे में पक्षकार नहीं बनाया था। वादी ने तथ्यों को छुपाते हुऐ गलत तथ्यों के आधार पर यह दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है। वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय श्रीमान के समक्ष नहीं आया है। जिससे दावा व प्रार्थना पत्र वादी इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में जनहित में 132 केवी जी.एस.एस. का निर्माण करना चाहते है। वादी के मन में बेईमानी आ गई। इसलिये वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर यह दावा पेश किया है। वादी यह चाहता है कि इस आराजी पर जी.एस.एस. का निर्माण नहीं हो। जो सार्वजनिक हितों के विपरित है। विवादित

आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। वादी का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होने के कारण वादी को दावा प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नहीं है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी राज.काश्त.अधि. लागू होने के पूर्व से आज दिनांक तक विवादित आराजी पर काबिज चला आ रहा है। सम्वत 2029–2032 की खसरा गिरदावरी में प्रार्थी के नाम का अंकन है। लगातार 50–55 साल से प्रार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के नाम की खातेदारी का अंकन न करके खिलाफ कानून खिलाफ मौका विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में सिवायचक कस्टोडियन का अंकन कर दिया और अप्रार्थी सं. 3 व 4 के हक में आवंटन कर दिया। जबकि मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 को कब्जा नहीं सम्भलवाया गया। अपितु मौके पर आज भी प्रार्थी का ही कब्जा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कथन किया।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पर आवंटन के बाद ही अप्रार्थीगण को कब्जा सम्भलवा दिया गया है। प्रश्नगत आराजी पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। प्रश्नगत आराजी की किस्म सिवायचक कस्टोडियन है। जिसे जिलाधीश महोदय अलवर ने अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को 132 केवी जी.एस.एस. विजय मंदिर अलवर के निर्माण हेतु सशर्त कीमतन आवंटन किया है। आवंटन के पश्चात तहसीलदार अलवर व भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29.06.2013 को मौके पर कब्जा दे दिया है। प्रार्थी का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उक्त आवंटन के विरूद्ध प्रार्थी ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर में अपील दायर की जिसे माननीय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा खारिज कर दिया गया है। प्रार्थी ने तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है, जिसे खारिज फरमाया जाये।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम के निर्णय से पूर्व प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर गौर करना होता है।

न्यायालय को सर्वप्रथम वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजात पर गौर कर यह देखना होता है कि आया वादी का केस प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है या नहीं।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2067–70 ग्राम लोधाडी के अनुसार प्रश्नगत आराजी सिवायचक कस्टोडियन दर्ज रिकार्ड है।

प्रश्नगत आराजी श्रीमान जिला कलक्टर अलवर के आदेश क्रमांक 5846–53 दिनांक 07.06.2013 द्वारा 132 केवी जी.एस.एस. विजय मंदिर अलवर के निर्माण हेतु कीमतन 30 वर्षो की लीज पर सशर्त आवंटन की गई है। राजकीय सिवायचक भूमि का आवंटन करने पर आमजन से आपत्ति लेने की कोई अनिवार्यता नहीं होती है। विवादित आराजी आवंटित की गई है, ना कि अवाप्त। अतः आमजन से आपत्ति आमंत्रित किया जाना आवश्यक नहीं था।

जिला कलक्टर महोदय अलवर द्वारा अप्रार्थी सं. 3 व 4 को विवादित आराजी आवंटित की जा चुकी है। जिसका अप्रार्थीगण ने भुगतान भी जमा करा दिया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण विवादित आराजी के बौनाफाईड अलॉटी है व बौनाफाईड अलॉटी के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

प्रार्थी का कहना है कि विवादित आराजी पर राज.काश्त.अधिनियम 1955 लागू होने के पूर्व से **आज दिनांक** तक लगातार कब्जा है। जिसके लिए प्रार्थी ने पेनल्टी की रसीद दिनांक 20.03.2004, 23.03.2004, 21.10.2012, 21.03.2013 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2029–2032 प्रस्तुत की है, परन्तु कब्जे की वैधता साबित करने के लिए अन्य कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी का प्रश्नगत आराजी पर तत्समय से आज दिनांक तक लगातार कब्जा है।

प्रार्थी ने अपने दावे में स्वयं कहा है कि 35–40 वर्ष से राजस्व अधिकारियों के आश्वासन के आधार पर उन्होंनें यह वाद दायर किया है। किन्तु न तो ऐसे आश्वासन का कोई सबूत पत्रावली में है, न ही ऐसे आश्वासन को इस प्रकरण में ठोस आधार माना जा सकता है।

इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस होना या सुविधा का सन्तुलन होना नहीं माना जा सकता है।

विवादित आराजी के अप्रार्थीगण वास्तविक आवंटी है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन का भुगतान किया जा चुका है एवं दिनांक 29.06.2013 को कब्जा प्राप्त कर लिया है। जिसका मौका पर्चा पत्रावली में संलग्न है। प्रश्नगत आराजी का आवंटन 132 केवी जी.एस.एस. के निर्माण हेतु सार्वजनिक हितार्थ किया गया है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम खारिज किया जाता है।

शुभम चौधरी
I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी अलवर

निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

शुभम चौधरी
I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी अलवर